# न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

**पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.**

**राजस्व अपील संख्या : 09/2023 G.C.M.S. No. 2023/239 दर्ज दिनांक : 21.07.2023**

**अपीलार्थिगण:**

01. नाथाराम पुत्र जोईताराम
02. मुकनाराम पुत्र प्रेमाराम जातियान चौधरी निवासी भैसवाडा तहसील आहोर जिला जालोर

## बनाम

**प्रत्यर्थिगण:**

01. कैलाश कुमार पुत्र लेखराज कुम्हार
02. जितेन्द्रकुमार पुत्र लेखराज कुम्हार जातियान प्रजापत निवासीगण आहोर
03. लुम्बाराम पुत्र मोतीराम फौत के वारिस
    - 3/1. मेतीदेवी बेवा लूम्बाराम
    - 3/2. तेजाराम पुत्र लूम्बाराम
    - 3/3. मंजूदेवी पुत्री लूम्बाराम
    - 3/4. सुमटी देवी पुत्री लूम्बाराम
    - 3/5. गजाराम पुत्र लूम्बाराम फौत के वारीस
    - 3/5/1. शिविका पुत्री गजाराम
    - 3/5/2. लासीदेवी बेवा गजाराम तमाम जातियान चौधरी निवासी भैसवाड़ा तहसील आहोर
04. कपूराराम पुत्र प्रेमाराम चौधरी
05. अमरीदेवी पुत्री जोईताराम चौधरी
06. उजीदेवी पुत्री जोईताराम चौधरी
07. जेपाराम पुत्र चमना चौधरी
08. सोनीदेवी पत्नी जोईताजी चौधरी निवासी भैसवाड़ा तहसील आहोर
09. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय आहोर तहसीलदार आहोर जिला जालोर

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर आहोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 09/2021 बअनवान कैलाश कुमार बनाम लूम्बाराम में पारित निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 20.09.2022 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963**

**पैरोकार:–**

1. श्री गुणेश सिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री शम्भुदान आशिया, तेज सिंह बालावत विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

# निर्णय

दिनांकः 25.05.2026

अपीलाण्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील धारा 223 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध सहायक कलक्टर आहोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 09/2021 बअनवान कैलाश कुमार बनाम लुम्बाराम में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.09.2022 के विरूद्ध आलौच्य अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

मौजा भैसवाडा तहसील आहोर के पुराने खसरा संख्या 99/253 थे जिनके वर्तमान खसरा संख्या 230, 424 बनाये गये है। सहायक कलेक्टर आहोर में दावा बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का कैलाश कुमार, जितेन्द्र कुमार बनाम लूंबाराम वगैरा के नाम से पेश किया। दोनो वादीगण अजनबी क्रेता है। वर्तमान जमाबन्दी में वर्तमान खसरा संख्या 230, 424 वादीगण सहखातेदार दर्ज है लेकिन उनकी सहखातेदारी भी संदिग्ध है। जिसकी जांच अधीनस्थ न्यायालय में ही हो सकती है। इन दोनो वादीगण के पिता लेखराज पुत्र ताराराम प्रजापत की मृत्यु हो चूकी है। वादीगण ने मात्र खसरा संख्या 230 रकबा 3.02 हैक्टर में से अपने द्वारा खरीदसुदा हिस्से का ही बंटवाडा मांगा है जबकि इसी खेत का एक टुकडा जिसके खसरा संख्या 424 है उसका बंटवाड़ा नहीं मांगा है। खसरा संख्या 230, 424 के बीच में रास्ता होने से एक ही खेत के दो टूकड़े बने हुए है दोनो खसरो की नकल जमाबन्दी व नक्शा पेश है। अधीनस्थ न्यायालय ने कोर्ट में वादीगण के बयान करवाये बिना, दस्तावेज को प्रदर्श करवाये बिना आनन, फानन में दूसरी पेशी पर ही अखबार में सम्मन साया करवाने के आदेश देकर विधिक प्रक्रिया के प्रावधानो का दुरूपयोग करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 अजनबी क्रेता है, अजनबी क्रेता को बिना बंटवाडा करवाये कब्जे में प्रवेश करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। अपीलांट की उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पुश्तैनी कब्जासुदा व सहखातेदारी की है। वादी–रेस्पोडेन्ट ने दावे के साथ नक्शा शैडयूल बनाकर पेश किया है जो हमारे कब्जे में है। वादीगण ने इस भू–भाग पर अपना कब्जा गलत बताया है इस भू–भाग पर उसका कब्जा होने बाबत् पत्रावली पर कोई साक्ष्य ही उपलब्ध नहीं है, न ही उसके बेचान रजिस्टरी में इस भू भाग पर बेचानकर्ता का कब्जा होने का उल्लेख है। वैसे भी अजनबी क्रेता को बंटवाडा अन्तिम रूप से नहीं जाता तब तक उन्हे कब्जे में प्रवेश करने का कानूनी अधिकार ही नहीं है तो उसका भू भाग पर कब्जा होने को प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। न्यायालय में वादीगण के बयान करवाना आवश्यक है उसके स्वयं के बयान करवाये बिना केवल वादपत्र में अंकित अभिवचनो पर भरोसा कर न्यायिक प्रक्रिया अपनाये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो इस आधार पर खारिज किए जाने योग्य है। दावे की पत्रावली में प्रतिवादी को दावा दर्ज से निर्णय तक केवल एक बार जब दावा दर्ज हुआ उस समय सम्मन पेश किए। उन सम्मनो के साथ दावे की नकल तक उपलब्ध नहीं करवायी। वादी ने सम्मने के साथ दावे की नकल भी पेश नहीं की। सभी प्रतिवादी अशिक्षित है। प्रथम आदेशिका में ही सभी सम्मन अदम तामिल लौटने का उल्लेख है। वादी को सही पते पर पुनः सम्मन पेश करने के आदेश देकर पत्रावली दिनांक 15.03.2021 पेश होने के उल्लेख है। इस आदेश की पालना ही वादी ने नहीं की। अगली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

तारीख पर अखबार में सम्मन साया करने का आदेश हो गया जबकि साया आदेश से पूर्व रजिस्टर्ड पोस्ट से सम्मन भेजा जाना आवश्यक था। अपीलांट व शेष सभी प्रतिवादीगण का जवाबदावा, गवाह, दस्तावेज सबूत, बयान पेश करने का पर्याप्त अवसर नहीं देकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो की अवहेलना की है। दिनांक 13.02.2022 को मौके पर हाजिर रहने के नोटिस तहसील से जारी हुए तब हमे पता चला कि प्राथमिक डिक्री जारी हुई है। मृतक लूम्बाराम के विरूद्ध निर्णय है मृतक के कायम मुकामात को रेकर्ड पर नहीं लिए। दस्तावेज प्रदर्श नहीं करवाये, वादी स्वयं के बयान तक नहीं करवाये। वादीगण अजनबी क्रेता है हमारी पुश्तैनी भूमि है उपरोक्त कारणो से डिक्री कन्डोन कर अपील म्याद के अन्दर शुमार करने की कृपा करावे। सहखातेदार लूम्बार निर्णय के दिन जीवित था यह साबित करने का भार वादी पर है लेकिन निर्णय के दिन लूम्बाराम जीवित बाबत कोई सबूत पेश नही किया, न उनके वारीसान को रेकर्ड पर लिया, न संशोधित शीर्षक दिया, निर्णय में मृतक का नाम दर्ज है, हमने मृतक के वारिसान को पक्षकार बनाया है उपरोक्त कारणो से अपीलाधीन निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.09.2022 को निरस्त कर पत्रावली अधीनस्थ न्यायायल को रिमाण्ड करे कि पक्षकारो को सुनवायी, सबूत, जवाबदावा लेकर तनकी बनाकर तनकीवार निर्णय करे।

म्याद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि के बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.09.2022 को निर्णित कर प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील को विलंब के साथ प्रस्तुत की गई।
2. अपीलांट्स द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 13.02.2022 को मौके पर हाजिर रहने के नोटिस तहसील से जारी हुए तब हमे पता चला कि प्राथमिक डिक्री जारी हुई है। अपीलाधीन आदेश जारी हुआ। उस समय हम व हमारे अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने से हमें सही समय पर जानकारी नहीं हो पायी। अतः विलंबकाल सद्भाविक होने से माफ किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार फरमाई जावें।
3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में दीर्घ विलम्ब निहित नहीं है। प्रकरण में विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों से संबधित सारवान प्रश्न विद्यमान है हमारे विनम्र मत में प्रकरण बतौर तकनीकी आधार पर निर्णित करने के बजाय गुणावगुण पर निर्णित किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर मिलना ही चाहिए। अतः

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विलंबकाल माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम तो विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन के वादपत्र में अपीलाधीन वादग्रस्त आराजी जिसमे लुम्बाराम पुत्र मोतीराम बतौर खातेदार दर्ज है, जिसकी मृत्यु निर्णय से पूर्व हो चुकी थीं। इसके बावजूद रेस्पोडेन्ट संख्या 3/1 से 3/5/2 जो कि मृतक के वारिसान है, को बतौर कायम मुकाम संयोजित नहीं किया गया तथा मृतक के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.09.2022 पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदार लुम्बाराम पुत्र मोतीराम के वारिसान को बतौर पक्षकार संयोजित किए बिना अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित किया है, जो कि मृतक के विरूद्ध होने से काबिल अपास्त है।

5. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आदेशिका दिनांक 02.08.2022 के अंकन अनुसार उक्त प्रकरण प्रतिवादीगण के जवाब दावा हेतु नियत था, जिसके क्रम में दिनांक 12.09.2022 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर भी प्रदान किया गया था। परंतु, आगामी पेशी दिनांक 20.09.2022 को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा न तो प्रतिवादीगण का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर बंद किया गया, न ही पत्रावली को कभी वादी की साक्ष्य हेतु नियत कर कोई साक्ष्य अभिलिखित की गई, बल्कि इसके विपरीत, सीधे ही बहस सुनी जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर दी गई। प्रतिवादी संख्या 03 व 08 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी, ऐसी स्थिति में बिना किसी साक्ष्य व विधिक प्रक्रिया को अपनाए निर्णय पारित किया जाना सिविल प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय का आदेश प्रथम दृष्टया ही निरस्त किए जाने योग्य है।

6. वादपत्रों के निर्णयन के संबंध में व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 में यह आज्ञापक प्रावधान है कि वादी को अपना वादपत्र साक्ष्य से साबित करना आज्ञापक है यदि प्रकरण में सभी पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर दिया जाता है तथा न्यायालय द्वारा ऐसा राजीनामा तस्दीक किया जाकर विधिसम्मत पाया जाता है तो ऐसी स्थिति मे वादपत्र राजीनामे के आधार पर निर्णित व डिक्री किया जाता है। राजीनामे के अभाव में या प्रतिवादीगण में से कुछ पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर देने या कुछ प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने की दशा में ऐसे अनुपस्थित प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादी को अपना वादपत्र साक्ष्य से साबित करना होता है लेकिन हस्तगत प्रकरण में वादीगण की साक्ष्य लिए बिना प्राथमिक डिक्री पारित की गयी जो कि बिना साक्ष्य के पारित निर्णय व डिक्री की श्रेणी में आता है जो पुष्टि योग्य नहीं है।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारे विनम्र मत में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टियोग्य नहीं होने व अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

# आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर आहोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 09/2021 बअनवान कैलाश कुमार बनाम लुम्बाराम में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.09.2022 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 व 20 में विहित आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का समुचित अनुपालन करते हुए प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत करने व उभयपक्षकारान को साक्ष्य व प्रतिरक्षा का पर्याप्त अवसर देते हुए विवाद्यकवार विवेचन व सकारण निर्णयन करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लोटाई जावे। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 29.06.2026 को न्यायालय सहायक कलक्टर आहोर में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। पत्रावलियां इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली